

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत थलगढ़-डाडौं मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.8235 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- कलसीर
तहसील- पोखरी
जिला- चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत थलगढ़-डाडौं मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.7675 है० सिविल/वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.056 है०, कुल 1.8235 है० भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कलसीर द्वारा दिनांक 03/2/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कलसीर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli

No.....

Dated 18-11-2021


TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN


In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.8235 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Pokhari for Construction of New Motor Road in Chamoli district falls within jurisdiction of Kalsir village in Pokhari tehsil.


It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.8235 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to II annexure 30.2, 30.3
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (d) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


जिला समाज कल्याण अधिकारी
धमोली


जिलाधिकारी
धमोली
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)


Divisional Forest Officer
Kedamath Wildlife Division
Gopeshwar

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Himanshu Khurana (IAS) Deputy Commissioner Chamoli on dated 18-11-2021 at time 12.00 hrs. at Chamoli in which application claiming rights in total area measuring 1.8235 hect. for the construction of Thalgarh-Dadon Motor Road (4.00 Km.) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Pokhari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Gopeshwar

Dated 18-11-2021



जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली



District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee



Divisional Forest Officer
Kedamath Wildlife Division
Gopeshwar

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत थलगढ़-डाडौं मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.8235 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पोखरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पोखरी

उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत थलगढ़-डाडौं मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.8235 है० वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की दिनांक 12-10-2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रविन्द्र कुमार जुवांठा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|---------|------------------------|---------------------------|------------|
| 1- श्री | रविन्द्र कुमार जुवांठा | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- श्री | विमलसिंह शर्मा | वन क्षेत्राधिकारी, पोखरी | सदस्य |
| 3- श्री | देवेंद्र सिंह | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री | मिना देवी | बी०डी०सी० क्षेत्र | सदस्य |
| 5- श्री | तेजपाल सिंह | बी०डी०सी० क्षेत्र | सदस्य |
| 6- श्री | मिनी देवी | बी०डी०सी० क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि थलगढ़-डाडौं मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.8235 है० वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोपेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत थलगढ़-डाडौं मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.8235 है० वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० पोखरी (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

लेखक
विमलसिंह शर्मा (चमोली)

मिनी देवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत थालाबैड
वि० ख० पोखरी (चमोली)

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पोखरी
जनपद- चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विमलसिंह शर्मा (चमोली)

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पोखरी
जनपद- चमोली

वन क्षेत्राधिकारी
माननीय वन क्षेत्र नागनाथ
बैठक/सम्मति वन जीव प्रसाध